छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक : एफ 5–09/18/2009 रायपुर, दिनांक 12/12/2011

प्रति

1 समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम छत्तीसगढ़

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत
छत्तीसगढ़।

विषय :– भागीरथी नल जल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश में संशोधन।

संदर्भः– छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र पृ.क्र. एफ 5–09/18/2009 दिनांक 27 अगस्त 2009।

––00––

संदर्भित पत्र द्वारा राज्य प्रवर्तित **"भागीरथी नल जल योजना"** के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देश जारी किये गये थे। मार्ग निर्देशों में वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रति नल संयोजन 3000/– अधिकतम की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नगरीय निकायों में योजना के अंतर्गत नल संयोजन प्रदान कर निकाय मद से व्यय किये जाने हेतु राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है । उपरोक्त स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निकायों को प्रति नल संयोजन 3000/– दर से, आबंटित लक्ष्य के अनुसार लागत राशि की गणना कर, लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि स्वीकृति आदेश के साथ प्रथम किस्त के रूप में जारी की जावेगी।

प्रथम किस्त राशि का 70 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात, उपयोगिता प्रमाण पत्र लाभान्वित हितग्राहियों की सूची के साथ प्रस्तुत करने पर शेष राशि द्वितीय किस्त के रूप में जारी की जावेगी। लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण होने पर निकायों द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र,

व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शेष लाभान्वित हितग्राहियो की सूची सूडा रायपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग योजना में सन्निहित कार्यो के लिए ही किया जावें।

आदेश का कड़ाई से पालन सुनश्चित किया जावें।

9/12/11

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्रमांक : एफ 5–09/18/2009 रायपुर, दिनांक /12/2011

प्रतिलिपि :–

1 निज सचिव, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर।
2 आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़।
3 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग. रायपुर।
5 समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।
6 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर
7 समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़।
8 अनुभाग अधिकारी को गार्ड फाईल हेतु।
की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Verma 340

" भागीरथी नल–जल योजना – दिशा निर्देश "

- **नाम एवं विस्तारः–**

इस योजना का नाम **भागीरथी नल–जल योजना** होगा तथा यह प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में लागू होगी । यह योजना राज्य के तंग बस्ती क्षेत्रों में निवासरत गरीब नागरिकों के आवास में एक नल संयोजन देने की योजना है ।

- **उद्देश्यः–**

राज्य के लगभग तीन लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत हैं । ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं । वर्तमान में, इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है । इन सार्वजनिक साधनों से पेयजल वितरण में अनेक परेशानियाँ होती हैं । आम तौर पर महिलाओं व बच्चों को सार्वजनिक नलों व टैंकर्स में धक्का–मुक्की का सामना करना पड़ता है । इस व्यवस्था से निजात पाने, इन गरीब परिवारों के लिए भागीरथी नल–जल योजना राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा लागू की जा रही है । केवल एक आवेदन पत्र देकर हितग्राही निःशुल्क नल–संयोजन प्राप्त कर सकेंगे । किन्तु उन्हें प्रतिमाह निर्धारित जल कर का भुगतान करना होगा । इस योजना के लागू हो जाने पर सार्वजनिक नलों एवं टैंकर के माध्यम से जल प्रदाय की आवश्यकता न्यून हो जायेगी । सार्वजनिक नलों से जल का अपव्यय भी रुकेगा । गरीब महिलाओं व बच्चों का आत्मसम्मान भी बढ़ेगा । महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी यह एक कदम होगा ।

- **योजना का कियान्वयनः–**

यह योजना प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में लागू होगी । नगरीय निकाय, एमआईसी/पीआईसी में बस्ती का चयन संबंधी निर्णय करने के उपरांत संबंधित तंग बस्ती में कैंप लगाकर निर्धारित प्रारुप में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे । इस हेतु एक समिति निकाय स्तर पर गठित की जायेगी जिसमें संबंधित वार्ड पार्षद तथा जल कार्य से संबंधित उप अभियंता सदस्य रहेंगे । अन्य सदस्य एमआईसी/पीआईसी द्वारा नामित किये जा सकेंगे । आवेदन पत्र स्थल पर ही स्वीकृत किया जाकर यथाशीघ्र नल संयोजन कर दिया जावेगा । 'बस्ती' के प्राप्त समस्त उपयुक्त आवेदनों पर नल संयोजन के उपरांत निकाय व्यय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को आवेदन प्रस्तुत करेंगी । प्राप्त प्रकरणों के सूडा में परीक्षण उपरांत व्यय की प्रतिपूर्ति निकायों को शीघ्र कर दी जावेगी ।

- <u>योजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यः–</u>

बी क्लास जी.आई. वितरण पाईप लाईन, खुदाई कार्य, फेरुल, नल आदि आवश्यक फिटिंग सहित निकाय में लागू नल संयोजन शुल्क, सुरक्षा निधि आदि का समावेश योजना के तहत किया जा सकेगा ।

- <u>वित्तीय व्यवस्थाः–</u>

सामानयतः (3) [प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रुपये 3000/– तक की अधिकतम राशि प्रतिपूर्ति की जावेगी]

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग